फर्द अहकाम

(नियम 26)

2025/256

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री रितुराजसिंह राठौड
निवासी 371, मार्ग 19
बी रोड, न्यू बीजेएस कॉलोनी
जोधपुर।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी शिवगंज

किस्म मुकदमा अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 — मुकदमा नं. 50 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
08.09.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेसपोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज को दिनांक 06.07.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर गैर कृषि कार्य करने पर तहसीलदार द्वारा बेदखली की कार्यवाही की जा सकती है। इसके सन्दर्भ में कृपया सूचित करें कि ग्रामीण क्षेत्र में खातेदारी कृषि भूमि पर खडी फसल, फलदार वृक्ष आदि को अवारा मवेशियों नील गाय, जंगली सुअर आदि से बचाव हेतु खातेदारी कृषि भूमि के चारों ओर पक्की दीवार निर्माण करवाया जाना कृषि कार्य की श्रेणी में आता है या गैर कृषि कार्य की श्रेणी में। यदि गैर कृषि कार्य की श्रेणी में आता है तो इससे सम्बन्धित कानून, नियम, परिपत्र आदि की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज को दिनांक 06.07.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर गैर कृषि कार्य करने पर तहसीलदार द्वारा बेदखली की कार्यवाही की जा सकती है। इसके सन्दर्भ में कृपया सूचित करें कि ग्रामीण क्षेत्र में खातेदारी कृषि भूमि पर खडी फसल, फलदार वृक्ष आदि को अवारा मवेशियों नील गाय, जंगली सुअर आदि से बचाव हेतु खातेदारी कृषि भूमि के चारों ओर पक्की दीवार निर्माण करवाया जाना कृषि कार्य की श्रेणी में आता हैं या गैर कृषि कार्य की श्रेणी में। यदि गैर कृषि कार्य की श्रेणी में आता है तो इससे सम्बन्धित कानून, नियम, परिपत्र आदि की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही